संख्या- 166 / 2024 / 889 / चार-2024

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 22 मार्च, 2024

विषय:- जनपद चित्रकूट की तहसील मानिकपुर के ग्राम बगरेही में महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केन्द्र के भवन निर्माण हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4888/सं0नि0-6(161)/2022-23, दिनांक 04 मार्च, 2024 के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 70/2023/3045/चार-2022 दिनांक 22.02.2023 द्वारा जनपद चित्रकूट की तहसील मानिकपुर के ग्राम बगरेही में महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केन्द्र के भवन निर्माण हेतु रू0 1303.47 लाख की प्रशासकीय एवं रू0 100.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा शासनादेश संख्या- 329/2023/7008/चार-2023 दिनांक 20.11.2023 द्वारा परियोजना हेतु रू0 150.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार जनपद चित्रकूट की तहसील मानिकपुर के ग्राम बगरेही में महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केन्द्र के भवन निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 04 कला एवं संस्कृति-800 अन्य व्यय-12 महर्षि वाल्मीकि सास्कृतिक केन्द्र चित्रकूट -24-वृहत् निर्माण कार्य मद में रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) संस्कृति निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) बचत की धनराशि संस्कृति निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
(3) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
(4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।
(5) संस्कृति निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।
(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(9) शासनादेश संख्या- 329/2023/7008/चार-2023 दिनांक 20.11.2023 एवं शासनादेश संख्या-70/2023/3045/चार-2022 दिनांक 22.02.2023 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।
(10) स्वीकृत धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था – यू०पी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि० को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 04 कला एवं संस्कृति-800 अन्य व्यय-18-भारतेन्दु नाट्य अकादमी के प्रेक्षागृहों का निर्माण -24-वृहद निर्माण कार्य मद में उपलब्ध बचतों में से रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) को संक्रमित कर लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 04

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कला एवं संस्कृति-800 अन्य व्यय-12 महर्षि वाल्मीकि सास्कृतिक केन्द्र चित्रकूट -24-वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 166 /2024 / 889 (1)/चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, चित्रकूट।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8- परियोजना प्रबंधक, यू0पी0प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, इकाई-13, एम0आई0जी-67, इन्दिरा नगर (पावर हाउस के पास) बांदा-21001
9- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A004-20232024-889-Char-2024 Chitrkoot M Valmiki Reapp

विषय:- जनपद चित्रकूट की तहसील मानिकपुर के ग्राम बगरेही में महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केन्द्र के भवन निर्माण हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	4202048001800 (भारतेन्दु नाटय अकादमी के प्रेक्षागृहों का निर्माण)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र	4,47,50,000 रुपये चार करोड़ सैंतालीस लाख पचास हजार मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	9,00,00,000 रुपये नौ करोड़ मात्र	2023-2024
कुल					₹ 2,00,00,000	₹ 1,00,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	4202048001200 (महर्षि बाल्मीकि सांस्कृतिक केन्द्र, चित्रकूट)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	2,50,00,000 रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र	2023-2024
कुल				₹ 2,00,00,000	₹ 1,00,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) संस्कृति निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) बचत की धनराशि संस्कृति निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
(3) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
(4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।
(5) संस्कृति निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।
(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

संख्या:RE-budget-1-730-E-7-742-X-2023-24-दिनांक:21-03-2024

सेवा में,
निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

कुंवर मकरंद सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या- 166 /2024 / 889 (1)/चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, चित्रकूट।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8- परियोजना प्रबंधक, यू0पी0प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, इकाई-13, एम0आई0जी-67, इन्दिरा नगर (पावर हाउस के पास) बांदा-21001
9- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in